रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 550] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 6, 1971/कार्तिक 15, 1893
No. 550] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 6, 1971/KARTIKA 15, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

3-2-72

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 6th November 1971

S.O. 5090/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Apollo Mills Ltd., Bombay, for which having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred to Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri N. V. Ullal, Manager, Khatau Mills, Bombay-27.

Members

2. Shri F. C. Dhaun, Director (Finance), National Textile Corporation.
3. Dr. V. P. Kulkarni, Technical Adviser (Processing), National Textile Corporation.
4. Shri R. C. Nigam, Deputy Director of Inspection, Office of the Regional Director, Company Law Board, 100, Marine Drive, Bombay-2.

Member-Secretary

5. Shri M. Padmanabhan, Deputy Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay-20.

[No. F. 9(27)/Lic. Pol./71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1971

का० आ० 5090/15/आई० डी० आर० ए०/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अपोलो मिल्स लि०, बम्बई, नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

अध्यक्ष

1. श्री एन० वी० उल्लाल, प्रबंधक, खटाऊ मिल्स, बम्बई–27

सदस्य

2. श्री एफ० सी० धान,
 निदेशक (वित्त) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ।

3. डा० वी० पी० कुलकर्णी
 तकनीकी सलाहकार (प्रोसेसिंग), राष्ट्रीय वस्त्र निगम ।

4. श्री आर० सी० निगम, निरीक्षण के उप निदेशक
 समवाय विधि बोर्ड क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय 100, मैरीन ड्राइव, बम्बई–2

सदस्य-सचिव

5. श्री एम० पद्मनाभन्, उप निदेशक, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई–20

[सं० फा० 9(27)/आईस० पोल/71]

सुरेश कुमार सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971